

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पीपीसर

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

.....माया देवी पुत्री रामलाल बनाम राजस्वाम सरदार.....

दावा बाबत नाम डुरुसी U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 138/2021

निर्णय दिनांक :- 02-12-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-12-21 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर कबि अर्जी रोही जाम रिडुखला खेत खाता सं 37 की पमाइती में अंकित माया पुत्री रामलाल के स्वाम पर माया देवी पुत्री रामलाल दर्प कले के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलवार, चूरु उपखण्डवार राजस्व अफिलेख में अग्रय दायम्ह करें। प्रतीक में नाम डुरुसी के संबंध में सिवाइ उत्पन्न होने की स्थिति में सम्पूर्ण सिम्मेदारी वादी की होगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 02-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



02/12/21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी																		
<table border="1"> <tr> <td>रुपया</td> <td>रुपया</td> </tr> <tr> <td>1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प</td> <td>शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</td> </tr> <tr> <td>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</td> <td>अर्जी के लिए स्टाम्प</td> </tr> <tr> <td>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प</td> <td>प्लीडर की फीस</td> </tr> <tr> <td>4.रुपये पर प्लीडर की फीस</td> <td>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय</td> </tr> <tr> <td>5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय</td> <td>आदेशिका की तामील</td> </tr> <tr> <td>6. कमिश्नर की फीस</td> <td>कमिश्नर की फीस</td> </tr> <tr> <td>7. आदेशिका की तामिल</td> <td></td> </tr> <tr> <td>जोड़</td> <td>जोड़</td> </tr> </table>	रुपया	रुपया	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	4.रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील	6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	7. आदेशिका की तामिल		जोड़	जोड़	
रुपया	रुपया																		
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प																		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प																		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस																		
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय																		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील																		
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस																		
7. आदेशिका की तामिल																			
जोड़	जोड़																		

यदि...